

प्रेस-नोट

मीडिया सेल, एटीएस, उ.प्र.

गोरखपुर टेरर फंडिंग मामले का मास्टर माइंड यूपी एटीएस एवं महाराष्ट्र एटीएस की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार

दिनांक : 21 जून, 2018

गोरखपुर टेरर फंडिंग प्रकरण में वांछित चल रहे मास्टर माइंड रमेश शाह को दिनांक 19.6.18 को महाराष्ट्र के पुणे से एटीएस उ.प्र. की कानपुर इकाई व महाराष्ट्र एटीएस की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया जिसे ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा है जहाँ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पुलिस कस्टडी रिमांड प्राप्त कर अग्रिम पूछताछ की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.3.18 को यूपी एटीएस टीम द्वारा जनपद गोरखपुर से छः अभियुक्तगण को पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर आपराधिक षड्यंत्र व कूटरचना करते हुए विभिन्न बैंक खातों में भारत के विभिन्न स्थान से भारी धनराशि मंगवाकर, भिन्न भिन्न जगहों व लोगों को वितरित करने के सम्बन्ध में मु.अ.सं.-03/2018, धारा-420,467,468,471,120बी,121ए आईपीसी, थाना-एटीएस, लखनऊ में दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे नेटवर्क का सरगना **रमेश शाह** ही था।

- उक्त अभियोग में गिरफ्तार अभियुक्तगणों से पूछताछ व अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञात हुआ कि मुख्य रूप से मास्टर माइंड रमेश शाह के द्वारा ही पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर भारत के विभिन्न प्रान्तों से भिन्न-भिन्न तिथियों में भारी धनराशि जमा कराई गयी है।
- रमेश शाह को ही यह जानकारी होती थी कि विभिन्न बैंक खातों से धन किससे आहरित करवाकर पाकिस्तानी हैंडलर के पास कैसे भेजना है।
- इसके निर्देशों पर ही मध्य-पूर्व के राष्ट्रों, जम्मू-कश्मीर, केरल व पूर्वोत्तर के कई राज्यों से एक करोड़ रुपये से भी ज्यादा का धन प्राप्त किया गया और निकाल कर भिन्न-भिन्न स्थानों पर वितरित किया गया।
- रमेश को ही इन्टरनेट काल के माध्यम से पता चलता था कि धन आ गया है और फिर मुकेश, रमेश के ही कहने पर खाताधारकों को फोन करके पैसा आने की पुष्टि करता था व खाता धारकों को उनका हिस्सा देकर बाकी पैसा निकलवा लेता था जो रमेश के ही बताए हुए लोगो को वितरित किया जाता था।
- रमेश शाह उक्त अभियोग में वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु UP ATS द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था व इस संबंध में अन्य सुरक्षा एजेंसियों से भी सहायता प्राप्त की जा रही थी।
- इन्ही प्रयासों के क्रम में एटीएस की कानपुर इकाई भी महाराष्ट्र के पुणे में अभिसूचना संकलन कर रही थी जहाँ से प्रकरण के सरगना रमेश शाह की गिरफ्तारी हुई।

अभियुक्त का विवरण



रमेश शाह (28 वर्ष) पुत्र हरिशंकर शाह
निवासी:-सर्वोदय नगर, विछिया जंगल, तुलसी राम पोस्ट, पीएसी कैम्प थाना शाहपुर, जिला-गोरखपुर, उ.प्र.
मूल निवास:-ग्राम- हजियापुर कैथोलिया, वार्ड न-17, गोपाल गंज, बिहार
व्यवसाय:- सत्यम शॉपिंग मार्ट (निकट- चौधरी स्वीट हाउस, असुरन चुंगी, गोरखपुर) का मालिक

- रमेश इसी अभियोग में पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त मुकेश कुमार के साथ किराये पर रामजी पाठक के मकान में रह रहा था।
- इसके द्वारा उक्त अपराध से प्राप्त धन का प्रयोग इसके स्वयं के प्रतिष्ठान सत्यम मार्ट जैसे व्यवसाय में किया जाता था।
- यह कम्प्यूटर का अच्छा जानकार है व कूटरचित प्रपत्रों को तैयार करने का माहिर है।
- हवाला व्यापारी और विदेशी हैंडलर को कब पैसे जाने होते हैं यह सिर्फ रमेश शाह ही जानता है।

गिरफ्तार करने वाली टीम :-


पुलिस उपाधीक्षक एटीएस श्री मनीष सोनकर की टीम के उ.नि. खादिम सज्जाद, आरक्षी रामजस व आरक्षी संजय सिंह द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस महानिरीक्षक एटीएस द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी।

साक्ष्य

इसके साथियों मुशर्रफ व मुकेश (मुकदमा उपरोक्त में सह अभियुक्त) के फोन व डायरी से बरामद फर्जी पहचान पत्र, बैंकों की पासबुक एटीएम कार्ड , लैपटाप आदि और फोन रिकॉर्डिंग।

पूर्व में मिले अधिकाँश दस्तावेज़ रमेश की ही हैंड राईटिंग में हैं।

नेटवर्क चार्ट



-असीम अरुण, आईजी एटीएस

रमेश की फ़ोटो प्राप्त करने हेतु –

https://drive.google.com/file/d/10v7gDqZKlvzh6h2ZPxG_FXyToJFFqi2M/view?usp=sharing

मु.अ.सं.- 03/2018 में पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों के विवरण एवं फोटो हेतु –

https://drive.google.com/open?id=16msCBTUmV_LGbDFRaHhkFun0NDoZ_rBk